हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/2/21 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी को जवाब प्रा. पत्र हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। जवाब पेश होने के बाद बहस सुनी जावेगी। पत्रावली दिनांक 09/3/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर) 9/3/21 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब प्रा. पत्र पेश नहीं करने पर जवाब प्रा. पत्र बंद किया जाता है तथा बहस मूल प्रा. पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 17.3.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर) 17/3/21 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा. पत्र धारा 128 LRAct को स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली बाद हस्ताक्षर श्री. [illegible] [illegible] पत्रावली प्रेषित अनुसार पत्रावली बाद पालना दाखिल दफ्तर हो [signature] उपखण्ड अधिकारी खींवसर (नागौर)

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। और पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन
या गया । प्रार्थी के कथनानुसार विवादग्रस्त खेतों का सीमाज्ञान हो चुका है मगर पत्थरगडी
हीं होने की वजह से पक्षकारान के मध्य विवाद ज्यों का त्यों बना हुआ है।

पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड से प्रार्थी उक्त खसरान का रिकोर्डेड खातेदार है और
ajasthan Land Revenue Act 1956 की धारा 128 सपठित धारा 111 (Raj. Land Rev.
ct) एवं Rule 34 Raj. Land Rev. (Land Record Rules) 1957 के अनुसार खातेदार
थवा गैर खातेदार काश्तकार अपने खेताय का सीमांकन करवाकर सीमा चिन्ह स्थापित करवा
कता है। तथा सीमाज्ञान हो जाने से अपनी आराजी के पडोसीयों से रोज रोज के विवाद से
नीजात मिल जायेगी। दोनो पक्षों में माठों को लेकर रोज रोज के विवाद भी नहीं होगा ।
तः शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एवं उक्त सभी समस्याओं का निराकरण हेतु प्रार्थी का
पत्र स्वीकार कर विवादग्रस्त माठों का सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गढी कराना मेरी राय में
चेत है और विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने भी पत्थरगढी करवाना उचित माना है।

अतः पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड, दस्तावेजात एवं बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रा.पत्र
तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार खींवसर को यह
देश दिया जाता है की :–

आदेश

अतः तहसीलदार खींवसर को आदेश दिया जाता है की नियमानुसार सींमाकन एवं
थरगढी की प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त के खेताय खसरा नबंर 1377, 1378, 1374
कबा 00.08 बीघा, ख.न. 25.16 बीघा, ख.न. 01.16 बीघा मौजा हेमपुरा तहसील खींवसर का
प चौक माफिक खतौनी व नक्शा के अनुसार मौके पर करवाया जाकर माफिक खातेदारी
ीमाज्ञान करवाकर प्रार्थी की खातेदारी का रकबा पूर्ण कर तदनुसार पत्थरगढी करने के
ादेश दिये जाते है।

ट: उक्तरोक्त खसरान पर किसी भी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो इस आदेश की पालना की जावें। खर्चा
क्षकारान अपना अपना वहन करे।

राजकेश मीणा RAS
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)

उक्त निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीणा RAS
उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)